

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या: 2108 / XV-1/2025/1(8)24/72441

प्राप्त
DAH
31/10/25

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2025

विषय : कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना हेतु मानक संचालन प्रक्रिया/दिशा निर्देश के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4047/पशुधन-तीन/कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना/2025-26, दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना हेतु मानक संचालन प्रक्रिया/दिशा-निर्देश प्रख्यापित किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 'कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना' की मानक संचालन प्रक्रिया/दिशा-निर्देश निम्नवत् प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

राज्य में पोल्ट्री मीट व अण्डों की कमी दूर करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने, पलायन रोकने एवं प्रोटीन की कमी दूर करने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुट विकास की दो योजनाएं, 'ब्रायलर फार्म की स्थापना' एवं 'कुक्कुट वैली की स्थापना' योजना राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं। समय-समय पर योजनाओं की स्थलीय स्तर पर समीक्षा किये जाने पर लाभार्थियों द्वारा प्रमुख समस्या कुक्कुट आहार की अधिक लागत बतायी गयी है। पहाड़ी क्षेत्रों में दुलान व्यय अधिक होने के कारण मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कुक्कुट आहार अधिक मूल्य में मिलता है, जिससे उनका उत्पादन मूल्य अधिक हो जाता है, परिणामस्वरूप पर्वतीय जनपदों के कुक्कुटपालकों को अण्डा एवं पोल्ट्री का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है।

योजना का उद्देश्य-

कुक्कुट पालन के व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण घटक कुक्कुट आहार है, जोकि कुल व्यय का लगभग 60 प्रतिशत होता है। 'कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना' का उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित 'ब्रायलर फार्म की स्थापना' एवं 'कुक्कुट वैली की स्थापना' योजनाओं के लाभार्थियों को कुक्कुट आहार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी उत्पादन क्षमता, आय वृद्धि तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

लागू क्षेत्र एवं अवधि -

- यह योजना उत्तराखण्ड राज्य के केवल 09 पर्वतीय जनपदों (अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी) में संचालित होगी।
- यह योजना प्रारम्भिक तौर पर 3 वर्ष हेतु संचालित की जायेगी।
- 3 वर्ष पश्चात पशुपालन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से उक्त योजना के आउटकम तथा प्रभाविता का मूल्यांकन करने के पश्चात योजना को चालू रखने, संशोधन अथवा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

कुक्कुट आहार सब्सिडी (Lump Sum Product आधारित)-



- योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2025-26 में 'ब्रायलर फार्म की स्थापना योजना' के 816 लाभार्थी एवं 'कुक्कुट वैली की स्थापना योजना' के 781 लाभार्थी योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे।
- 'ब्रायलर फार्म की स्थापना' योजनान्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित 'लेयर फार्म की स्थापना योजना' हेतु चयनित लाभार्थी भी 'कुक्कुट आहार सبسिडी योजना' के लाभ हेतु पात्र होंगे।
- 'ब्रायलर फार्म की स्थापना' एवं 'कुक्कुट वैली की स्थापना' योजनाओं में लाभार्थियों की इकाईयों में उपलब्ध पक्षियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक पक्षी (End Product) पर रुपये 10.00 (रुपये दस मात्र) की धनराशि आहार अनुदान के रूप में दी जायेगी।
- 'ब्रायलर फार्म की स्थापना' योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली कुक्कुट आहार सبسिडी:-
- प्रति लाभार्थी कुल कुक्कुट आहार सبسिडी (अधिकतम 3000 पक्षी)-6 बैच x 500 पक्षी = रुपये 30,000.00 (रु 5000.00 प्रति बैच)।
- कुल 816 लाभार्थियों हेतु कुल कुक्कुट आहार सبسिडी- रुपये 2,44,80,000.00 (रुपये दो करोड़ चवालीस लाख अस्सी हजार मात्र)।
- 'कुक्कुट वैली की स्थापना' योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली कुक्कुट आहार सبسिडी:-
- प्रति लाभार्थी कुल कुक्कुट आहार सبسिडी (अधिकतम 500 पक्षी)- 2 बैच x 250 पक्षी = रुपये 5000.00 (रु 2500.00 प्रति बैच)
- कुल 781 लाभार्थियों हेतु कुल कुक्कुट आहार सبسिडी- रुपये 39,05,000.00 (रुपये उन्तालीस लाख पांच हजार मात्र)।
- कुल कुक्कुट आहार सبسिडी- रुपये 2,83,85,000.00 (रुपये दो करोड़ तिरासी लाख पिच्चासी हजार मात्र)

कुक्कुट आहार सبسिडी योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन प्रक्रिया एवं राजकीय अनुदान - इस योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा, जो संदर्भित योजनाओं की शर्तों को पूर्ण करते हों।

ब्रायलर फार्म की स्थापना योजना- योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया एवं लाभार्थियों को दी जाने वाली योजना की पूर्व सبسिडी शासनादेश संख्या 1631/XV-1/22-1(15) 2022 दिनांक 15 नवम्बर 2022 के अनुरूप ही रहेगी, जोकि निम्नवत है-

योजनान्तर्गत प्रत्येक ब्रायलर फार्म को दी जाने वाली कुल सبسिडी- रुपये 60000.00 (रुपये साठ हजार मात्र)

1. प्रथम- सبسिडी @ रुपये 15/पक्षी, 1 बैच हेतु अनुदान (500 पक्षी)- रुपये 7500.00
6 बैच हेतु कुल सبسिडी रुपये 45000.00

2. द्वितीय- बाड़ा निर्माण हेतु एक मुस्त रुपये 15000.00 का अनुदान कुल सبسिडी रुपये 60,000 प्रति फार्म

कुक्कुट वैली की स्थापना योजना- योजनान्तर्गत चयन प्रक्रिया एवं लाभार्थियों को दी जाने वाली योजना की पूर्व सبسिडी शासनादेश संख्या 29/XV-1/2022 /1(15)2022 दिनांक 06 जनवरी 2023 के अनुरूप ही रहेगी, जोकि निम्नवत है-

- राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से 500 एकदिवसीय चूजे एक माह तक पालने हेतु सहकारी समिति एम.पैक्स को पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको एम.पैक्स द्वारा एक माह तक पालने उपरान्त एम.पैक्स द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- योजनान्तर्गत रुपये 30.00 प्रति पक्षी, कुल रुपये 15000.00 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) सبسिडी

देय है।

कुक्कुट आहार सब्सिडी का वितरण

कुक्कुट आहार सब्सिडी— लाभार्थियों को कुक्कुट आहार सब्सिडी डी0बी0टी0 के रूप में अधिक सुविधाजनक सी0बी0डी0सी0/E-Rupee के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार दी जायेगी—

- कुक्कुट आहार सब्सिडी का लाभ लेने हेतु 'ब्रायलर फार्म की स्थापना योजना' एवं 'कुक्कुट वैली की स्थापना योजना' के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रत्येक बैच हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र के माध्यम से स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। (परिशिष्ट-1)
- लाभार्थी, आवेदन पत्र पशुपालन विभाग की वेबसाईट ahd.uk.gov.in अथवा स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकेंगे।
- लाभार्थी द्वारा योजना की प्रथम किस्त हेतु आवेदन पत्र में अंकित किये गए कुक्कुट प्रक्षेत्र के पते को ही अन्तिम माना जायेगा।
- आवेदन-पत्र प्राप्त होने उपरान्त विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—
- 'ब्रायलर फार्म की स्थापना योजना' के अन्तर्गत चूजों की एक माह की आयु पूर्ण होने पर स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा आवेदक के फार्म में पाले जा रहे पक्षियों की संख्या का सत्यापन किया जायेगा।
- 'कुक्कुट वैली की स्थापना योजना' के अन्तर्गत चूजों की दो माह की आयु पूर्ण होने पर स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा आवेदक के फार्म में पाले जा रहे पक्षियों की संख्या का सत्यापन किया जायेगा।
- सम्बन्धित पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन की आयु (एक माह/दो माह) पूर्ण होने के एक सप्ताह के भीतर सत्यापन आख्या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- इसके पश्चात सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी स्तर पर डी0बी0टी0 के रूप में अधिक सुविधाजनक CBDC/E-Rupee के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु IFMS पोर्टल पर अधिकतम एक सप्ताह के भीतर बिल जनरेट किया जायेगा।
- तदुपरान्त बिल प्राप्त होने पर अधिकतम दो दिनों के भीतर IFMS द्वारा सब्सिडी की धनराशि को उत्तरदायी बैंक में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।
- उत्तरदायी बैंक द्वारा लाभार्थी को सब्सिडी की धनराशि भुगतान करने हेतु CBDC एप पर वॉलेट बनाया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा स्मार्ट फोन में उत्तरदायी बैंक के CBDC एप/वॉलेट को डाउनलोड किया जायेगा।
- IFMS के माध्यम से उत्तरदायी बैंक को सब्सिडी की धनराशि प्राप्त होने पर, बैंक द्वारा दो कार्यदिवसों के भीतर वॉलेट से सब्सिडी की धनराशि को अनलॉक कर दिया जायेगा।
- वॉलेट अनलॉक होने पर लाभार्थी, बैंक द्वारा निर्धारित मर्चेन्ट कैटेगरी कोड (MCC) के अन्तर्गत वर्गीकृत कुक्कुट आहार व्यापारी को CBDC एप/वॉलेट के माध्यम से UPI QR Code स्कैन कर कुक्कुट आहार सब्सिडी की धनराशि से कुक्कुट आहार क्य का भुगतान कर सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कुक्कुट आहार सब्सिडी की धनराशि का उपयोग निहित प्रयोजन में ही हो।
- लाभार्थी, योजना की निर्धारित अवधि में कभी भी कुक्कुट आहार सब्सिडी का उपयोग कर कुक्कुट आहार व्यापारी को कुक्कुट आहार क्य का भुगतान कर सकेगा।

निगरानी एवं मूल्यांकन—

- 'ब्रायलर फार्म की स्थापना' एवं 'कुक्कुट वैली की स्थापना' योजनाओं के शासनादेश के अनुसार गठित समितियों द्वारा ही योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन किया जायेगा।
- उत्तरदायी बैंक द्वारा सभी प्राप्तियों/रिकॉर्ड का वास्तविक समय में रख-रखाव किया जायेगा। जिसको विभाग द्वारा भविष्य में कभी भी मांगा जा सकेगा।
- लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये कुक्कुट आहार कय बिल को पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा संकलित किया जायेगा।
- सम्बन्धित योजना की शर्तों या नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में योजना की सब्सिडी का लाभ देने या रोकने का अधिकार या अन्तिम निर्णय पशुपालन विभाग का होगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने पर योजना की प्रभाविता का आंकलन करने हेतु योजना का फीड बैक मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी स्तर से निदेशालय स्तर को प्रेषित किया जायेगा।

परिशिष्ट-1

कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,

जनपद-.....

विषय- 'कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना' अन्तर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

निवेदन है कि मैं (नाम) निम्नांकित विवरणानुसार, पर्वतीय जनपदों हेतु संचालित 'कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना' के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ। मैं 'ब्रायलर फार्म की स्थापना योजना'/'कुक्कुट वैली की स्थापना योजना' में चयनित लाभार्थी हूँ तथा उक्त योजना हेतु पात्र हूँ।

आवेदक का विवरण :

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. निवास का पता :
.....
4. प्रक्षेत्र का पता :
5. मोबाईल नम्बर : आधार नम्बर
6. बैंक विवरण : खाता धारक का नाम.....बैंक एवं शाखा का नाम.....
.....खाता संख्या आई0एफ0एस0र कोड.....

योजना का विवरण :

ब्रायलर फार्म की स्थापना	कुक्कुट वैली की स्थापना योजना
1. प्रक्षेत्र में चूजे स्थापित करने की तिथि :	1. प्रक्षेत्र में चूजे स्थापित करने की तिथि :
2. चूजों की आयु एक माह पूर्ण होने की तिथि :	2. चूजों की आयु दो माह पूर्ण होने की तिथि :
3. सब्सिडी की किस्त/बैच संख्या (✓) करें : पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा	3. सब्सिडी की किस्त/बैच संख्या (✓) करें : पहला दूसरा

घोषणा

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया जा रहा उक्त विवरण सत्य एवं सही है। अतः मेरे कुक्कुट प्रक्षेत्र में पाले जा रहे पक्षियों का सत्यापन करने की कृपा करेंगे, ताकि मुझे कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना का लाभ मिल सके।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर :

(आवेदक का नाम) :

कार्यालय उपयोग हेतु

पशुचिकित्सा अधिकारी :

सत्यापन की तिथि : स्थान.....

फार्म में सत्यापन के दौरान पायी गयी पक्षियों की संख्या : बैच की आयु.....

देय सब्सिडी रु0 : (प्रति पक्षी रुपये 10.00 मात्र)

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी :

स्वीकृत/अस्वीकृत

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Digitally signed by

Santosh Badoni

Date: 29-10-2025

17:35:55

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)

अपर सचिव।

संख्या: 2108 (1)/XV-1/22-1(3) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव मा0 पशुपालन मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव पशुपालन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, पशुपालन विभाग।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Digitally signed by

Karam Ram

Date: 29-10-2025 करम राम)

18:46:07

अनुसचिव